न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00323 (73/2012) 75 एलआरएक्ट
खैर मोहम्मद पुत्र श्री दोने खां जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल हाल माणकथेड़ी तहसील पीलीबंगा –अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.12.2011 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र. सं. 89/2011

श्री रामस्वरूप तावणिया अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 18.10.2019

1. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ने
2. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलाण्ट खैर मोहम्मद के नाम पुख्ता आवंटित ग्राम बड़ोपल बारानी के ख. नं. 987 रकबा 6.325 है0 भूमि को खारिज करने के सबंध में प्रकरण प्राप्त होने पर उसे दर्ज रजिस्टर करते हुए आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष बैठक में रखने का आदेश दिया एवं दिनांक 26.12.2011 को सलाहकार समिति की रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबा में से 3.254 है. रकबा को जीएफसी से प्रभावित मानते हुए दाखिल खारिज किया ओर शेष बड़ोपल बारानी खसरा नं. 987 की 3.071 है. भूमि टी.सी. से पुख्ता पात्र होने के कारण पुख्ता आवंटन के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
3. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को 1986 में बतौर भूमिहीन काश्तकार आवंटित भूमि थी। आवंटन दिनांक से अपीलाण्ट का उसका कब्जा काश्त है। रकबा टीसी पर आवंटित हुआ था आवंटन की दिनांक से ही भूमि पर काबिज चला आ रहा है और काफी पैसा व श्रम खर्च किया है उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है। प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवान के लिए आदेश दिये गये हैं। लेकिन 12.06.2012 को रिपोर्ट थी उसी के आधार पर आदेश दिये गये हैं। प्रश्नगत भूमि का नवीनीकरण होता रहा। गिरदावरी 2038 से 2041 में टीसी दर्ज है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा दिनांक 26.12.2011 को मात्र प्रश्नगत भूमि जीएफसी से प्रभावित होने के कारण त्रूटिपूर्ण की श्रेणी मे आता है और प्रार्थी से कोई कागजात प्रस्तुत नहीं करवाए एवं दिनांक 26.12.2011 को अपीलाण्ट की भूमि को खारिज करने के आदेश दिये हैं। विचारण न्यायालय ने आनन फानन में पत्रावली तैयार करवा कर आदेश पारित किये है। आवंटन नियम 1975 के नियम 5–11 की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है। आवंटन नियम 1975 के नियम 5–7 में अस्थाई कृषक भूमि को आवंटन करवाने का प्रथम हकदार है तथा अपीलाण्ट इस भूमि का रकम व मालकाना लगातार अदा करता आ रहा है। पुख्ता आवंटन पत्रावली तैयार करने से पूर्व सभी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

टीसी धारकों की सूची तैयार कर उनको 30 दिन का नोटिस देना आवश्यक था तथा पुख्ता आवंटन का आवेदन पत्र व शपथ–पत्र भी लिया जाकर पत्रावली में आगामी कार्यवाही करनी थी। पुख्ता आवंटन नियमों में राजस्व अभिलेख में नाम हटाने का प्रावधान नहीं है। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 14.03.2017 पेज 182, 2019–17 आरआरटी (सुप) पेज 507, आरआरटी 2005 (1) पेज 588, आरआरटी 2005 (1) पेज 854 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि सलाहकार समिति की रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबा में से 3.254 है. रकबा को जीएफसी से प्रभावित मानते हुए दाखिल खारिज किया ओर शेष बड़ोपल बारानी खसरा नं. 987 की 3.071 है. भूमि टी.सी. से पुख्ता पात्र होने के कारण पुख्ता आवंटन के आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अपील सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. धारा–5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों के आधार पर तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तहसीलदार से अपीलाण्ट खैर मोहम्मद के नाम पुख्ता आवंटित ग्राम बड़ोपल बारानी के ख. नं. 987 रकबा 6.325 है0 भूमि को खारिज करने के सबंध में प्रकरण प्राप्त होने पर उसे दर्ज रजिस्टर कर सलाहकार समिति के समक्ष बैठक में रखने का आदेश दिया एवं दिनांक 26.12.2011 सलाहकार समिति की रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबा में से 3.254 है. रकबा को जीएफसी से प्रभावित मानते हुए दाखिल खारिज किया ओर शेष बड़ोपल बारानी खसरा नं. 987 की 3.071 है. भूमि टी.सी. से पुख्ता पात्र होने के कारण पुख्ता आवंटन के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अपूर्ण है। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई जावे। अपीलाण्ट को प्रश्नगत रकबा बगैर कब्जा की जांच किये व बिना कब्जा बाबत साक्ष्य सबूत लिए आदेश पारित किया गया है। उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी हल्का बड़ोपल की दिनांक 12.06.2011 भी शामिल है जिसे तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को अग्रेषित किया गया है जिसमें प्रश्नगत भूमि जीएफसी से प्रभावित होना माना है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में यदि सुनवाई का अवसर नहीं दियागया है तो वह अपने कथन यहां कर सकता है लेकिन उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि जीएफसी से प्रभावित नहीं हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: